

वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर

(जिला शस्त्र प्रशाखा)

प्रेस विज्ञप्ति

एतद् द्वारा वैशाली जिलान्तर्गत वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि जिन-जिन शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अब तक NDAL का फार्म नहीं भरा गया है, वे दिनांक-30.03.2017 तक अपने कारण-पृच्छा के साथ विहित पत्र पूर्णरूपेण से भर कर जिला शस्त्र कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें अन्यथा शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 14 (1) बी 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

RN
25/3/17
वैशाली प्रशाखा
जिला सामान्य शाखा
वैशाली, हाजीपुर
25/3/17

अपर
वैशाली

जिला दण्डाधिकारी,
वैशाली।